न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02 /2019

1. संदीप सिंह पुत्र जयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफए श्रीकरणपुर।
2. बवनदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफए श्रीकरणपुर।--प्रार्थीगण--

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। --अप्रार्थी--

अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

--निर्णय-- दिनांक : 15/1/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 36 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 70/71 के मु0 नं0 4 के किला नं0 1 ता 4 मे प्रत्येक में 0.018 हैक्टर व किला न0 5 में 0.019 हैक्टर उत्तर कि दिशा में प्रार्थी संदीप सिंह के द्वारा रास्ता छोडा गया है व मुरब्बा न0 5 के किला न0 1 में 0.019 हैक्टर भुमि बवन दीप सिंह के द्वारा रास्ते के लिए छोडी गई है जो कि मुरब्बा न0 4 कि किला न0 5 के साथ चिपती हुई पश्चिम दिशा में छोडी गई है प्रार्थी गण इसे सरकारी रास्ता करवाना चाहते है इस पर हम सहमत है। मौका पर रास्ता चालू है। अतः उक्त भुमि को सरकारी रास्ता में मंजूर करके राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाये प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 36 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 70/71 व खाता संख्या 90/93 की जमा बंदी पेश कि तथा इस बाबत् शपथ पत्र पेश किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 36 एफ के मुरब्बा न0 5 में किला न0 1 ता 3 सालम व किला न0 4/2 में 0.075 हैक्टर कुल 0.834 हैक्टर नहरी रकबा बवन दीप सिंह के नाम दर्ज है व मुरब्बा न0 4 के किला न0 1 ता 5 किला न0 8,9,10 सालम व किला न0 7/3 में 0.013 हैक्टर कुल 2.037 नहरी रकबा संदीप सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी मुरब्बा न0 4 के किला न0 1 ता 4 मे प्रत्येक में 0.018 हैक्टर व किला न0 5 में 0.019 हैक्टर उत्तर दिशा में व मुरब्बा न0 5 के किला न0 1 में 0.019 हैक्टर पश्चिम की दिशा में छोडे गये चालू रास्ता को सरकारी रास्ता में स्वीकृत करवाना चाहते है मौके पर पुछताछ में बताया गया कि उक्त रास्ता आपसी सहमती से छोडा गया है जो मौका पर चालू है।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण यह रास्ता अपनी सहमति से सरकारी करवाना चाहते है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रस्तावित रास्ता का रकबा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। मौका पर रास्ता चालू है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 36 एफ के मुरब्बा न0 4 के किला न0 1 ता 4 मे प्रत्येक में 0.018 हैक्टर व किला न0 5 में 0.019 हैक्टर उत्तर दिशा में कुल 0.091 हैक्टर व मुरब्बा न0 5 के किला न0 1 में 0.019 हैक्टर गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह रास्ता प्रार्थीगण अपनी सहमति से सरकारी करवा रहे है इस रास्ता के बदले राशि या भूमि देय नही होगी। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) — seal)

{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner